

राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 37/019

आर सी एम सए नं0 2019/00083

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

- 1 श्यौराज पुत्र शंकर (फौत)
- 1/1 लखन पुत्र श्यौराज
- 1/2 बत्ती पुत्र श्यौराज
- 2 सोना पुत्र शंकर
- 3 हरगिलास पुत्र शंकर

समस्त जातियान जोगी निवासीयान मुडिया
तहसील टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:— 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय

दिनांक:— 26.02.2020

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 763 रकवा 0.05 है0 ग्राम मूडिया तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 518/1/1, 525/3 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नली के रूप में दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2034 से 37 के खाता संख्या 1 में यह भूमि नियमन होकर शंकर के खातेदारी में दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 518/1 का नवीन खसरा नम्बर 736 रकवा 0.05 है0 बनाकर हाल जमाबंदी में अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 736 रकवा 0.05 है0 वाके ग्राम मूडिया को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नाली को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल जमाबंदी सम्बत 2000 से 19 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमाबंदी सम्बत 2072 से 2074 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमें अप्रार्थी जरिये वकालान्तन उपस्थित आया ओर कोई जवाब पेश नहीं किया जो जवाब अप्रार्थीयान का बंद किया गया।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमें भूमि गैर मु. तलाई थी जिसे नियमन/आवंटन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बन्त 2034 से 37 के खाता संख्या 1 में आराजी खसरा नं. 518/1/1, 525/3 कुल किता 2 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा में से 4 विस्वा किस्म से गै0 मु0 नली के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जिसे नामान्तकरण संख्या 862 से भूमि आवंटन/ नियमन से खातेदारी में शंकर दर्ज होकर खातेदारी में दर्ज हो गई है अब वर्तमान में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। भूमि जमाबंदी में जिम्मन नं. 1 में जल मग्न होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया है कि **All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly.** माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 763 रकवा 0.05 है0 ग्राम मूडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बन्त 2008 से 2019 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नली दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

